राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 834/2010/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन,राजस्थान,
घट–प्रथम, वृत्त–तृतीय, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स अनु ट्रेडिंग कम्पनी, ए–II,
प्रथम तल, चांदपोल अनाज मण्डी, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन,
अधिकृत प्रतिनिधि। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :06.08.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, घट–प्रथम, वृत्त–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे सशक्त अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स–चतुर्थ),जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.11.2009 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत् आरोपित शास्ति रू. 1,33,800/– को अपास्त करने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी सशक्त अधिकार द्वारा दिनांक 06.04.09 को अजमेर रोड टोल नाके के पास वाहन संख्या आर. जे.–14–2 जी–1372 को जांच हेतु रोका गया । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने वाहन में परिवहनीत माल "देशी घी कृष्णा ब्राण्ड" के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी कम्प्यूटराइज्ड इन्वॉयस कमांक 38 दिनांक 06.04.09, 160 टिन शुद्ध घी रू.4,45,366/– वास्ते जांच हेतु प्रस्तुत कर, अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना प्रकट किया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)बी के तहत् विहित दस्तावेज वक्त माल परिवहन माल संबंधित दस्तावेजों के संलग्न नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)बी के प्रावधानों का

लगातार.....2

उल्लघंन होना अवधारित कर, वाहन को मय माल के अधिनियम की धारा 76(5) व 76(9) के तहत् निरूद्ध कर, विहित दस्तावेजों के अभाव में शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रस्तावित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी को धारा 76(6) के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी ने अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् शास्ति रू. 1,33,800/– आरोपित कर, आदेश पारित किये गये। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक भूल की है क्योंकि अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुये, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत् जो शास्ति आरोपित की है वह पूर्णतः उचित एवम् विधिसम्मत है जिसे विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में विधिक त्रुटि की है । तद्नुसार प्रार्थना की कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित शास्ति को पुनर्स्थापित (restore) करने का निवेदन किया गया।

5- प्रत्यर्थी के अधिकृत प्रतिनिधि ने अभिवाक् किया है कि विद्वान् उप–राजकीय अभिभाषक के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित नहीं हैं । इस संबंध में कथन किया कि अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानानुसार माल संबंधी समस्त विहित दस्तावेज माल के परिवहन के दौरान मौजूद थे, उनमें से किसी भी दस्तावेजों को विद्वान सशक्त अधिकारी द्वारा मिथ्या अथवा कूटरचित होना प्रमाणित नहीं किया हे । अतः इस आधार पर प्रकरण में शास्ति आरोपण योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उपर्युक्त वर्णित आधारों पर आरोपित शास्ति पूर्णतः अनुचित एवम् अविधिक है ।

अग्रिम कथन किया कि विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व दिनांक 06.04.2009 को अभियोग दर्ज कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी व श्री जयराम पुत्र हनुमान सहाय, वाहन चालक के नाम से

लगातार.....3

13.04.2009 के लिए संयुक्त नोटिस अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु जारी किये गये हैं जिसके संबंध में दिनांक 08.04.09 एवं दिनांक 09.04.09 को प्रारम्भिक आपत्तियां एवं शपथ पत्र जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात् वाहन मय माल जमानत छोड़ दिया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी माल व वाहन को छोड़े जाने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरांत लगभग तीन माह बाद एकपक्षीय आदेश पारित कर, जरिये स्पीडपोस्ट आदेश की प्रति प्रेषित की गयी। यह समस्त कार्यवाही अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.07.2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आम बजट में उड़नदस्तों को समाप्त किये जाने संबंधी घोषणा केएक दिन पूर्व किया जाना प्रकट किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिक प्रावधानों के विपरीत होने व नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व होना प्रकट किया गया।

अग्रिम तर्क दिया कि प्रकरण में माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम, पते, माल की किस्म, मूल्य, पंजीयन संख्या आदि मौके पर उपलब्ध थे तथा परिवहनित माल से संबंधित समस्त सूचना, इनवॉयस संख्या 38 दिनांक 06.04.2009 जो मैसर्स आमे सेल्स एजेन्सी, पड़ाव बाजार, अजमेर, टिन 08550005779 के नाम जारी 160 टीन देशी घी, 15 किलो प्रति टीन कुल 2400 किलो कीमतन रू.4,28,077/ वेट 4 प्रतिशत की दर से रू.17,289/— अंकित होने के बावजूद अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के शास्ति आरोपित की गयी है। जहां तक वक्त जांच बिल्टी नहीं होने का प्रश्न है, कथन किया कि वाहन मालिक की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया था कि वाहन उसका स्वयम् का है एवम् वह ट्रांसपोर्ट कम्पनी नहीं चलाता है। अतः स्थानीयी क्षेत्रों में बिल्टी नहीं बनाता है, परन्तु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लघंन होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

अग्रिम कथन किया कि विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्व दिनांक 06.04.2009 को अभियोगे दर्ज कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी व श्री जयराम पुत्र हनुमान सहाय, वाहन चालक के नाम से दिनांक 06.04.2009 को 13.04.2009 के लिए संयुक्त नोटिस अधिनियम की धारा 76(6) एवं 76(9) के तहत् शास्ति आरोपण हेतु जारी किये गये हैं जिसके संबंध में दिनांक 08.04.09 एवं दिनांक 09.04.09 को प्रारम्भिक आपत्तियां एवं शपथ पत्र

लगातार.....4

जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिसके पश्चात् वाहन मय माल के छोड़ दिया गया। अपीलार्थी सशक्त अधिकारी माल व वाहन को छोड़े जाने के पश्चात् जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी एकपक्षीय आदेश पारित कर, जरिये स्पीडपोस्ट आदेश की प्रति प्रेषित की गयी। यह समस्त कार्यवाही अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 08.07.2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आम बजट में उड़नदस्तों को समाप्त किये जाने संबंधी घोषणा केएक दिन पूर्व किया जाना प्रकट किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही को विधिक प्रावधानों के विपरीत होने व नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व होना प्रकट किया गया।

अग्रिम तर्क दिया कि प्रकरण में माल के प्रेषक एवं प्रेषिति के नाम, पते, माल की किस्म, मूल्य, पंजीयन संख्या आदि मौके पर उपलब्ध थे तथा परिवहनित माल से संबंधित समस्त सूचना, इनवॉयस संख्या 38 दिनांक 06.04.2009 जो मैसर्स आमे सेल्स एजेन्सी, पड़ाव बाजार, अजमेर, टिन 08550005779 के नाम जारी 160 टीन देशी घी, 15 किलो प्रति टीन कुल 2400 किलो कीमतन रू.4,28,077/ वेट 4 प्रतिशत की दर से रू.17,289/— अंकित होने के बावजूद अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के शास्ति आरोपित की गयी है। जहां तक वक्त जांच बिल्टी नहीं होने का प्रश्न है, कथन किया कि वाहन मालिक की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया था परन्तु अपीलार्थी सशक्त अधिकारी के द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर, अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लघंन होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन कर विधि के प्रावधानों का अध्ययन किया गया । इस संबंध में अधिनियम की धारा 76(6) का मूल पठन इस प्रकार है:—

> **76. Establishment of check–post or barrier and inspection of goods while in movement. –**
>
> (1).....
>
> (2).....
>
> (3).....
>
> (4).....
>
> (5).....
>
> (6) The Incharge of the check–post or barrier or ***"the officer authorized"*** under sub–section (4), after having given the owner of the goods or person duly authorized in writing by such owner or person

लगातार.....5

Incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of *"clause (b) of sub–section (2)"* or for submission of false or forged documents or declaration, a penalty equal to thirty percent of the value of such goods.

उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानानुसार धारा 76(2)(बी) के अनुसार विहित दस्तावेज नहीं होने अथवा प्रस्तुत दस्तावेजों के "मिथ्या" और "कूटरचित" होने की दशा में ही शास्ति आरोपित की जा सकती है। प्रकरण में अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में इन परिस्थितियों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। बिल्टी के संबंध में वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत जवाब व शपथ पत्र के तथ्यों पर विचार नहीं कर, अधिनियम की धारा 76(2) का प्रावधानों का उल्लंघन होना अवधारित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। वक्त जांच परिवहनित माल के संबंध में विधिक इन्वॉयस प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार प्रेषक व प्रेषिति पंजीकृत थे, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी अग्रिम जांच के प्रस्तुत दस्तावेज को मिथ्या व कूटरचित होना अवधारित कर, शास्ति आरोपित की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा उचित रूप से अपास्त किया गया है। अतः पारित अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय प्रसारित किया गया ।

6.8.2014

(मदन लाल)
सदस्य